

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अविनाश कुमार
सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/रॉंची/हजारीबाग
मुख्य अभियंता (यॉ०)/अग्रिम योजना, जल संसाधन विभाग
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन
पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखंड रॉंची।

रॉंची, दिनांक 2-11-13

विषय :- वित्तीय वर्ष 2013-14 के मांग संख्या- 49 जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष-2701- मध्यम सिंचाई उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक, लघु शीर्ष-001 निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष-06-छोटानागपुर एवं संधाल परगना सिंचाई परियोजना मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

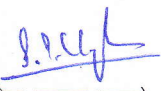
महाशय,

वित्तीय वर्ष 2013-14 में बजट मुख्य शीर्ष 2701- मध्यम सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2701-मध्यम सिंचाई	03 मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक	001-निदेशन तथा प्रशासन/ 06-छोटानागपुर एवं संधाल परगना सिंचाई परियोजना	327.967

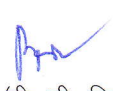
कुल आवंटित राशि - रुपये तीन करोड़ सत्ताईस लाख छियानबे हजार सात सौ मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2013-14 के बजट उपबंध ₹ 5927.61 लाख (उनसठ करोड़ सताईस लाख एकसठ हजार) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का वेतनादि या अन्य दायित्व का भुगतान बिना विभागीय अनुमति के नहीं किया जाय।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।


(सुरेश प्रसाद भगत)
सहा. अभि.


(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

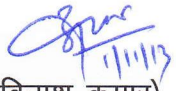

(एस. के. सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)


(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. यदि आवंटित गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं किया जायेगा।
9. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन को छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का तुरत प्रत्यर्पण कर दिया जाय।
10. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
11. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
12. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 15 फरवरी 2014 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त


(अविनाश कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :-

11 6

राँची, दिनांक :- 2-11-13

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरंडा/मेदिनीनगर/गढ़वा/हजारीबाग/बोकारो/देवघर/जमशेदपुर सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

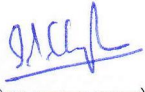

(अविनाश कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), राँची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/ वेब सूचना प्रबंधक/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


(सुरेश प्रसाद भगत)
सहा. अभि.


(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)


(एस. के. सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)


(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव


(अविनाश कुमार)
सचिव

गांग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

परिशेष्ट I

मुख्य शीर्ष-2701-मध्यम सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक
तलु शीर्ष-001-निर्देशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष-06-छोटानागापुर एवं संथाल पराना सिंचाई परियोजना

पत्रांक. 11/6 दिनांक. 2-11-13 का अनुलग्नक

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष 2013-2014	विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं मंत्										विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय										विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाडियां अन्य व्यय		विरुद्ध शीर्ष-07-विशिष्ट प्रभार		राशि लाख रुपये में	अभियुक्ति
		कार्यालय का नाम	वेतन	एल०टी०शी०	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया,दफ्ते कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	इंधन एवं सामग्री	अन्य व्यय	विशिष्ट प्रभार	कुल योग												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16												
1	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, हजारीबाग	विरुद्ध कोड	49N270103001	49N270103000	49N270103000	49N270103000	49N270103000	49N270103000	49N270103000	49N270103000	49N270103000	49N270103000	49N270103000	31.850													
			060101	1060112	1060213	1060315	1060316	1060323	1060333	1060334	1060337	1060442	1060760														
1		पूर्व का आवंटन	30.000	0.000	0.200	0.600	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.800	0.000	31.850													
		अतिरिक्त आवंटन	8.000	0.000	0.000	0.200	0.000	1.000	0.250	0.000	0.000	0.800	0.000	10.250													
		कुल आवंटन	38.000	0.000	0.200	0.800	0.000	1.000	0.500	0.000	0.000	1.600	0.000	42.100													
2	औरंगा निमाण अंचल, मीरिनीनगर	पूर्व का आवंटन	81.000	0.050	0.600	0.500	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.600	0.000	82.800													
		अतिरिक्त आवंटन	19.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	19.100													
		अद्यतन आवंटन	100.000	0.100	0.600	0.500	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.600	0.000	101.900													
3	कदवन बांध अंचल, गढ़वा	पूर्व का आवंटन	76.500	0.000	0.353	0.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.600	0.000	77.953													
		अतिरिक्त आवंटन	3.500	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100	3.700													
		अद्यतन आवंटन	80.000	0.100	0.353	0.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.600	0.100	81.653													
4	जलपथ अंचल, गढ़वा	पूर्व का आवंटन	54.000	0.000	0.848	0.500	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.600	0.000	55.998													
		अतिरिक्त आवंटन	11.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	11.150													
		अद्यतन आवंटन	65.100	0.000	0.848	0.500	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.600	0.000	67.148													
5	अग्रिम योजना प्र०, पलामू	पूर्व का आवंटन	36.000	0.000	0.700	0.400	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.700	0.000	37.850													
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000	0.500													
		अद्यतन आवंटन	36.000	0.000	0.700	0.400	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	1.200	0.000	38.350													
6	कोनार नहर प्रमंडल, जुमरी	पूर्व का आवंटन	150.000	0.000	0.609	0.400	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.150	151.209													
		अतिरिक्त आवंटन	10.900	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	10.950													
		अद्यतन आवंटन	160.900	0.000	0.609	0.400	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.150	162.159													
7	कोनार नहर प्रमंडल, बगोदर	पूर्व का आवंटन	136.500	0.000	0.200	0.400	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	137.450													
		अतिरिक्त आवंटन	36.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.100	0.000	0.100	36.450													
		अद्यतन आवंटन	172.500	0.000	0.200	0.400	0.000	0.250	0.050	0.000	0.100	0.300	0.100	173.900													
8	जलपथ प्रमंडल, बरही	पूर्व का आवंटन	271.500	0.000	0.761	0.400	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	272.711													
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.100	0.000	0.000	0.100	0.300	0.050	0.000	0.100	0.000	0.050	0.700													
		अद्यतन आवंटन	271.500	0.100	0.761	0.400	0.100	0.300	0.100	0.000	0.100	0.000	0.050	273.411													
9	जलपथ प्रमंडल, विशुनपुर, पाटन	पूर्व का आवंटन	6.000	0.000	0.200	0.400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.600	0.000	7.200													
		अतिरिक्त आवंटन	19.700	0.000	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	20.500													
		अद्यतन आवंटन	25.700	0.000	0.200	0.400	0.000	0.500	0.000	0.000	0.000	0.900	0.000	27.700													
10	जलपथ प्रमंडल, हजारीबाग	पूर्व का आवंटन	240.000	0.000	0.988	0.400	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	241.738													
		अतिरिक्त आवंटन	50.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.200	0.100	0.000	0.000	0.500	0.100	51.000													
		अद्यतन आवंटन	290.000	0.000	0.988	0.500	0.000	0.200	0.150	0.000	0.000	0.800	0.100	292.738													

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता(मुक्ति साधन चौखर्क्या)
उप सचिव (अभि०)(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि०)(बी० सी० निगम)
विशेष सचिव(अमिताभ कुमार)
सचिव

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष 2013-2014		विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते				विरुद्ध शीर्ष-02-यात्रा व्यय				विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय										विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां		विरुद्ध शीर्ष-07-अन्य व्यय		राशि लाख रुपये में	
	कार्यालय का नाम	विपत्र कोड	वेतन	एल०डी०सी०	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया,दर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	इंधन एवं मरम्मत	विशिष्ट प्रभार	कुल योग	अभियुक्ति											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16											
11	पुनर्वास पदा० उ० कोयल परियोजना, मंदिनीनगर		40.500	0.000	0.200	0.400	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	41.150												
			11.540	0.050	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.000	0.090	0.000	0.000	11.880												
12	यांत्रिक प्रमंडल, बनासो हजारीबाग		52.040	0.050	0.200	0.400	0.000	0.200	0.050	0.000	0.090	0.000	0.000	53.030												
			150.000	0.000	0.200	0.400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.600	0.000	151.200												
13	रूपकण एवं मोनि० प्र०, हजारीबाग		22.060	0.000	0.200	0.400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	22.060												
			25.000	0.000	0.200	0.400	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	25.650												
14	लेखा कार्या०, झालदनगंज		25.000	0.000	0.600	0.400	0.000	0.400	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	26.450												
			5.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.200												
15	लेखा कार्या०, देवघर		10.400	0.000	0.100	0.300	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	10.800												
			18.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	18.200												
16	लेखा कार्या०, राँची		13.360	0.050	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	13.610												
			31.360	0.050	0.200	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	31.810												
17	वित्त पदा०, स्वपरिखा परि०, जमशेदपुर		22.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	22.200												
			21.700	0.030	0.200	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	22.030												
18	सिवाई प्रमंडल, हुंडू		43.700	0.030	0.200	0.300	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	44.230												
			42.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	42.200												
	अतिरिक्त आवंटन		52.050	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.200	0.000	0.057	0.000	0.000	52.707												
			94.050	0.000	0.200	0.400	0.000	0.000	0.200	0.000	0.057	0.000	0.000	94.907												
	अतिरिक्त आवंटन		228.000	0.000	2.171	0.400	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	230.621												
			34.780	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.100	34.980												
	कुल आवंटन		262.780	0.000	2.171	0.400	0.000	0.000	0.050	0.000	0.100	0.000	0.100	265.601												
	अतिरिक्त आवंटन का योग		319.090	0.380	1.100	0.700	0.100	2.850	0.750	0.000	0.447	2.100	0.450	327.967												

नोट: वित्त विभाग के पत्रांक 11/विधिख-14/2010-69/बजट दि० 11.02.13 के आलोक में विद्युत मद में दिनांक 31.10.2012 तक का बकाया शून्य मानते हुए नये सिर से बिपत्रीकरण के आधार पर ही भुगतान अनुमान्य है।

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि-
(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

रुपये तीन करोड़ सत्ताईस लाख छियानबे हजार सात सौ मात्र
(सुरेश कुमार सिन्हा)
उप सचिव (अभि.)

(अविनाश कुमार)
सचिव

116
2-11-13